न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

1/23

जी.सी.एम.एस. 2021 / 14

दावा मु.नं. 44 / 20

1. अमरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी ग्राम मामोर (झोपडिया) तहसील कनवास हाल निवास मकान नबंर 655 बाला कुण्ड केशवपुरा कोटा।
2. नंदलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी ग्राम मामोर (झोपडिया) तहसील कनवास हाल निवास मकान संख्या 1004 बाला कुण्ड केशवपुरा कोटा।
3. श्रीमती बसन्तीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम कलवदा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
4. श्रीमती गीताबाई पुत्र जगन्नाथ पत्नि रमेश जाति माली निवासी ग्राम बपावरकला तहसील सांगोद।
5. श्रीमती सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नि दुर्गालाल जाति माली निवासी ग्राम खण्डगांव तहसील कनवास।
6. श्रीमती कालीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि लेखराज जाति माली निवासी कस्बा सांगोद।

—वादीगण—

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र आनन्दीलाल।
2. प्रकाशचंद पुत्र आनंदीलाल।
3. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि स्व0 आनंदीलाल जाति माली निवासीगण मामोर तहसील कनवास जिला कोटा।
4. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री आनंदीलाल पत्नि रामनारायण जाति माली निवासी ग्राम दीवाली तहसील अटरू जिला बांरा।
5. दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल।
6. श्रीमती भूलीबाई पत्नि स्व0 मोहनलाल जाति माली निवासीगण ग्राम मामोर झोपडिया तहसील कनवास जिला कोटा।
7. श्रीमती शकुन्तलाबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि कमलेश माली।
8. श्रीमती मधू बाला पुत्री मोहनलाल पत्नि महावीर जाति माली निवासीग्राम कमोलर तहसील सांगोद।
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित —

वादी की ओर से— एडवोकेट श्री महेश कुमार तिवारी।

प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 08 की ओर से एडवोकेट मनोज शर्मा

प्रतिवादी नबंर 09 राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 10.01.2023

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मामोर तहसील कनवास में हाल सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी सम्वत् 2042—45 के मुताबिक खसरा नबंर 213 की 11 बीघा आराजी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 04 के संयुक्त रूप से

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

तथा 2/3 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 जगन्नाथ जी व उनके भाई स्व0 प्रभूलाल के संयुक्त खाते में
दर्ज था।
यह कि वाद पत्रके मद संख्या 01 में वर्णित खसरा नबंर की आराजी का सेटलमेंट के बाद खसरा नबंर
519 की रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नबंर 527 की रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नबंर 528 की रकबा 0.88
हैक्टयर, खसरा नबंर 529 की रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नबंर 530 की रकबा 0.32 हैक्टयर कुल किता
05 की रकबा 1.78 हैक्टयर का रकबा कायम हुआ है। जिसमें से 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादी
नबंर 01 लगायत 04 के खाते दर्ज हुआ तथा 1/3 हिस्से के सहखातेदार स्व0 प्रभूलाल जी द्वारा अपना
हिस्सा स्व0 मोहनलाल पुत्र श्रीकृष्ण को विक्रय करने से स्व0 मोहनलाल के खाते दर्ज हुआ व स्व0
मोहनलाल की मृत्यु होने से उनका 1/3 हिस्सा विरासतन उनके उत्तराधिकारीगण प्रतिवादीगण नबंर
नबंर 05 लगायत 08 के नाम संयुक्त रूप से खाते दर्ज हुआ तथा 1/3 हिस्सा सेटलमेंट के बाद
सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से सहखातेदार वादीगण के पिता स्व0 जगन्नाथ जी के पिता का नाम
धन्नालाल की बजाय पन्नालाल दर्ज कर उनके खाते दर्ज हुआ, जबकि स्व0 जगन्नाथजी के पिता का
वास्तविक नाम धन्नालाल जी ही है।
यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमियों का वादीगण के पिता स्व0 जगन्नाथ जी उनके भाईयों स्व0 आनन्दीलाल
जी व स्व0 प्रभूलाल जी ने काफी वर्षों पूर्व ही परस्पर सहमति से विभाजन कर लिया था। जिसके
मुताबिक स्व0 जगन्नाथ जी के 1/3 हिस्से पर वादीगण संयुक्त रूप से आनन्दीलाल के 1/3 हिस्से पर
उनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 04 तथा स्व0 प्रभूलालजी का 1/3 हिस्सा जो उन्होने स्व0
मोहनलाल जी को विक्रय कर दिया था। उस पर मोहनलाल जी के वारिसान प्रतिवादी नबंर 05 लगायत
08 काश्त करते आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमियां मौके पर एक चक के रूप में है। जिस पर परस्पर सहमति
के अनुसार पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।
उक्त वर्णित कृषि भूमियों का साबिक खसरा नबंर 213 के 11 बीघा रकबा के भूमि की उपजाउ
क्षमतानुसार उत्तर व दक्षिण दो भागों में बाटकर दक्षिणी भाग में से दक्षिणी तरफ की 0.30 हैक्टयर तथा
उत्तरी भाग में से उत्तर पश्चिम कोने की 0.30 हैक्टयर कृषि भूमि वादीगण के पिता के हिस्से में आई थी
जिस पर उनके वारिसान की हेसियत से वादीगण काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं।
शेष आराजी नजरी नक्शे के मुताबिक प्रतिवादीगण के पूर्वजों के हिस्से में आई थी। जिस पर वारिसान की
हेसियत से प्रतिवादीगण काश्त कर रहे हैं।
यह कि वादीगण के पिता का दिनांक 23.02.2020 को देहान्त हो चुका है। वादीगण के पिता के देहान्त के
बाद वादी नबंर 01 स्व0 जगन्नाथ के हिस्से 1/3 का फोती इंतकाल वादीगण के नाम खुलवाने के लिये
हल्का पटवारी मामोर के पास दिनांक को हो गया तो हल्का पटवारी ने रेवन्यू रेकार्ड का अवलोकन करने
पर उक्त वर्णित कृषि भूमियों के 1/3 हिस्से में वादीगण के पिता स्व0 जगन्नाथ जी के पिता का नाम
पन्ना दर्ज होने से इंतकाल खोलने से मना कर दिया व वादीगण के पिता जगन्नाथ के पिता का नाम
पन्ना के बजाय दुरूस्त करवाकर धन्ना करवाने के लिये हिदायत दी व उसके बाद ही स्व0 जगन्नाथ जी
के वारिसान की हेसियत से वादीगण का नाम दर्ज करने के लिये कहा। सेटलमेंट विभाग को जगन्नाथ
जी के पिता का नाम धन्ना के बजाय पन्ना करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था उनको तो पुराने
रेवन्यु रेकार्ड के नामों की ही पुनरावृति करनी थी, उन्होने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जगन्नाथ जी के पिता
का नाम धन्नालाल के बजाय पन्ना दर्ज कर दिया, जो अवैध है।
वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र के मद संख्या 01 में
वर्णित कृषि भूमि जिसका सेटलमेंट के बाद के खसरा नबंर व रकबा वाद पत्र के मद संख्या 02 में वर्णित
किया गया है के 1/3 हिस्से के सहखातेदार जगन्नाथ वल्द पन्ना के बजाय जगन्नाथ वल्द धन्ना
वादीगण के पिता स्व0 जगन्ननाथ के बजाय वादीगण उनके वारिसान होने से उनका 1/3 हिस्से में

उपखण्ड अधिकारी दनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

संयुक्त रूप से सहखातेदार होने की घोषणा की डिक्री पारित की जावे साथ ही वाद पत्र के मद संख्या
03 में वर्णित परस्पर हुये सहमति से 1/3 हिस्से को पृथक से वादीगण के नाम संयुक्त रूप से खाते दर्ज
करने व पृथक से राजलगान अंकित करने की विभाजन की डिक्री पारित की जावें ।
वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई, पत्रावली
प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत मामोर में पेश हुयी। प्रतिवादीगण 01 लगायत 08 द्वारा जर्ये
एडवोकेट इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति दी गई।
प्रतिवादी नबंर 09 राज्य सरकार द्वारा भी वादीगण के वाद का खण्डन या विरोध नहीं किया गया।
आराजी साक्ष्यवादी में वादी पी.डब्ल्यू –1 स्वयं वादी अमरलाल का शपथ–पत्र पेश किया गया। साथ ही
मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया गया। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर हम वादीगण
का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया किया जाकर आदेश दिये गये कि ग्राम मामोर तहसील
कनवास के खसरा नबंर 519 की रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नबंर 527 की रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा
नबंर 528 की रकबा 0.88 हैक्टयर, खसरा नबंर 529 की रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नबंर 530 की रकबा
0.32 हैक्टयर कुल किता 05 की रकबा 1.78 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता जगन्नाथ के
पिता का नाम पन्ना के स्थान पर धन्ना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त आराजी में
प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीनबंर 05 लगायत 08 का 1/3 हिस्सा एवं
वादीगण 01 लगायत 06 का 1/3 हिस्से की पृथक–पृथक खाता विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री किया
गया। इस सबंध में तहसीलदार कनवास को आदेश की प्रति भिजवायी जाकर निर्देशित किया गया कि
ग्राम मामोर तहसील कनवास के खसरा नबंर 519 की रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नबंर 527 की रकबा 0.
04 हैक्टयर, खसरा नबंर 528 की रकबा 0.88 हैक्टयर, खसरा नबंर 529 की रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा
नबंर 530 की रकबा 0.32 हैक्टयर कुल किता 05 की रकबा 1.78 हैक्टयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी
नबंर 01 लगायत 04 एवं प्रतिवादी नबंर 05 लगायत 08 के मध्य मुताबिक कब्जे काश्त एवं राजस्व मण्डल
अजमेर के नियम 18 से 21 अनुसार खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को आगामी पेशी
पर आवश्यक रूप प्रस्तु करे।
तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 16.11.2022 को उक्त सबंध में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किये
गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। विभजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया बहस विााजन प्रस्ताव
सुनी गई पक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।
अतः ग्राम वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से भूमि विभाजन करने के आदेश दिये जाते हैं।
जमाबंदी में दर्ज काश्तकार प्रविष्टि

क्र0स0	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म	दिशा	लगान
1	चन्द्र प्रकाश पुत्र आनन्दीलाल 1/12 बनवारी पुत्र आनन्दी लाल 1/2 प्रेम पुत्र आनन्दीलाल 1/12 पुष्पा पत्नि स्व0 आनन्दीलाल 1/12 दिनेश पुत्र मोहनलाल 1/12 शकुन्तला पुत्री मोहन लाल 1/12 भूली बाई पत्नि मोहनलाल 1/12 जगन्नाथ पुत्र पन्ना 1/3 माली सा देह रहन यूबीआइ दरा चन्द्र प्रकाश, बनवारी लाल, प्रेम व पुष्पा	519 527 528 529 530	0.30 0.04 0.88 0.24 0.32	चाही सोयम चाही सोयम चाही सोयम चाही सोयम चाही सोयम		4.80 0.64

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

	रहन बीआरकेजीबी कनवास हिस्सा दिनेश, मधुबाला, शकुन्तला, भूलीबाई					
	कुल किता 5 की	5	1.78 है0			

खाता विभाजन

क्र0स0	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म	दिशा	लगान
1	1 चन्द्र प्रकाश पुत्र आनन्दीलाल 1/4 बनवारी पुत्र आनन्दी लाल 1/4 प्रेम पुत्र आनन्दीलाल 1/4 पुष्पा पत्नि स्व0 आनन्दीलाल 1/4 माली सा देह रहन यूबीआई दरा	529 528	0.24 0.35	चाही सोयम चाही सोयम	मध्य	
	कुल किता की	2	0.59	0.59		
	2 दिनेश पुत्र मोहनलाल 1/4 मधुबाला पुत्री मोहन लाल 1/4 शकुन्तला पुत्री मोहनलाल 1/45 भूली बाई पत्नि सव मोहनलाल 1/4 माली सा देह रहन बीआरकेजीबी कनवास	530 528	0.32 0.27	चाही सोयम चाही सोयम	पश्चिम	
		2	0.59	0.59		
	3 अमरलाल पुत्र जगन्नाथ 1/6 नन्दलाल पुत्र जगन्नाथ 1/6 बसंन्तीबाई, गीता, सुमित्रा, काली, बाई पुत्रिया जगन्नाथ 4/6 जाति माली सा देह हाल निवासी सांगोद	519 527 528	0.30 0.04 0.26	चाही सोयम चाही सोयम चाही सोयम	पूर्व	
			0.60	0.60		

अतः उपरोक्त खाता विभाजन अनुसार पृथक–पृथक खाता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner